लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. *79

07 फरवरी, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

वस्त्र क्षेत्र को प्रोत्साहित करने हेतु कदम

***79. श्रीमती मंजुलता मंडल:**
श्री सी.एन. अन्नादुरई:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में वस्त्र क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वस्त्र उद्योगों को प्रदान की जा रही निधियों और अन्य प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है;

(घ) वस्त्र क्षेत्र के माध्यम से सृजित किए जाने वाले संभावित रोजगार अवसरों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में वस्त्र क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
वस्त्र मंत्री
(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ङ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"वस्त्र क्षेत्र को प्रोत्साहित करने हेतु कदम" के संबंध में श्रीमती मंजुलता मंडल एवं श्री सी.एन. अन्नादुरई द्वारा दिनांक 07.02.2024 को पूछे जाने वाले लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या *79 के उत्तर में वक्तव्य।

(क) और (ख): भारत सरकार वस्त्र क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न योजनाएं/पहल क्रियान्वित कर रही है। प्रमुख योजनाओं/पहलों में - आधुनिक, एकीकृत बड़े पैमाने पर, विश्व स्तरीय औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने हेतु पीएम मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र एवं अपैरल (पीएम मित्र) पार्क योजना, जिससे निवेश को आकर्षित करने और रोजगार के अवसरों के सृजन को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी; बड़े पैमाने पर विनिर्माण को बढ़ावा देने और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए एमएमएफ फैब्रिक, एमएमएफ अपैरल और तकनीकी वस्त्र पर ध्यान केंद्रित करने वाली उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना; अनुसंधान नवाचार और विकास, संवर्धन और बाजार विकास, कौशल और निर्यात संवर्धन पर ध्यान केंद्रित करते हुए राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन; समर्थ - मांग आधारित, प्लेसमेंट उन्मुख, कौशल कार्यक्रम प्रदान करने के उद्देश्य से वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण योजना; बेंचमार्क वस्त्र मशीनरी में पात्र निवेश के लिए पूंजी निवेश सब्सिडी के माध्यम से प्रौद्योगिकी उन्नयन और आधुनिकीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए एटीयूएफएस; रेशम उत्पादन मूल्य श्रृंखला के व्यापक विकास के लिए सिल्क समग्र-2; हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्रों आदि के लिए शुरू से अंत तक सहायता के लिए राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) और राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) शामिल हैं।

(ग): निधि का आवंटन योजना-वार किया जाता है, जिसे अखिल भारतीय आधार पर क्रियान्वित किया जाता है।

(घ): वस्त्र उद्योग देश में रोजगार सृजन के सबसे बड़े स्रोतों में से एक स्रोत है, जिसमें 45 मिलियन से अधिक लोग सीधे तौर पर कार्यरत हैं। पीएम-मित्र, पीएलआई, एनटीटीएम, समर्थ आदि पहलों में आजीविका के अतिरिक्त स्रोत बनाने और रोजगार के अवसर सृजित करने की क्षमता है।

(ङ): विभिन्न पहलों के अलावा, सरकार वस्त्र और गारमेंट निर्यात के संवर्धन और ब्रांडिंग में लगे विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषदों और व्यापार निकायों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार मेलों, प्रदर्शनियों, क्रेता-विक्रेता बैठकों आदि के आयोजन और भाग लेने के लिए बाजार पहुंच पहल योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा, सरकार वस्त्र उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अपैरल/गारमेंटस और मेड-अप्स के निर्यात पर राज्य और केंद्रीय करों और लेवी (आरओएसटीसीएल) में छूट की योजना क्रियान्वित कर रही है। इसके अलावा, मंत्रालय फरवरी, 2024 में एक ग्लोबल मेगा टेक्सटाइल इवेंट अर्थात भारत टेक्स 2024 के आयोजन में निर्यात संवर्धन परिषदों/संघों की भी सहायता कर रहा है, ताकि भारतीय वस्त्र मूल्य श्रृंखला की क्षमता का प्रदर्शन किया जा सके, जिसमें वस्त्र और फैशन उद्योग और वस्त्र क्षेत्र में सोर्सिंग और निवेश के लिए भारत को सबसे पसंदीदा गंतव्य स्थापित करने के लिए नवीनतम प्रगति/नवाचार पर प्रकाश डाला जा सके।

*****